सहकारी बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा

1. 23 गैर-लाइसेंसप्राप्त डीसीसीबी के पुनरुद्धार की योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में 3 डीसीसीबी को पुनर्पूंजीकरण सहायता जारी करना।

भारत सरकार ने नवंबर 2014 में 2,375.42 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ 'तेईस डीसीसीबी के पुनरुद्धार के लिए योजना' की घोषणा की। इस योजना के तहत 23 डीसीसीबी को वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी ताकि वे 31 मार्च, 2015 से 7% सीआरएआर का अनुपालन कर सकें और 9% प्राप्त कर सकें।

स्वीकृत 2375.42 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता में से 278.04 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर में तीन डीसीसीबी (बारामूला, अनंतनाग और जम्मू डीसीसीबी) से संबंधित थे, जिसमें से 111.22 करोड़ रुपये भारत सरकार का हिस्सा था।

भारत सरकार, नाबार्ड और संबंधित राज्य सरकारों के बीच समझौता ज्ञापनों के निष्पादन के बाद, भारत सरकार ने नाबार्ड को 673.29 करोड़ रुपये का अपना पूरा हिस्सा जारी किया। डीसीसीबी को राज्य सरकारों का हिस्सा जारी करने के बाद नाबार्ड ने 20 डीसीसीबी के संबंध में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को 562.07 करोड़ रुपये जारी किए हैं.

हालांकि, जम्मू-कश्मीर में 3 डीसीसीबी के संबंध में भारत सरकार का हिस्सा नाबार्ड के पास रखा गया था क्योंकि राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 तक डीसीसीबी को अपना हिस्सा जारी नहीं किया था।

जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार ने 31 मार्च 2017 तक डीसीसीबी की वित्तीय स्थिति के आधार पर लगभग 367 करोड़ रुपये के कुल पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन किया, जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा 255.71 करोड़ रुपये आंका गया था।

वित्त वर्ष 2021-22 (29 मार्च 2022 तक) में जम्मू-कश्मीर में 3 डीसीसीबी को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा पुनर्पूंजीकरण सहायता का पूरा हिस्सा जारी करने के परिणामस्वरूप, जम्मू-कश्मीर में 3 डीसीसीबी को पुनर्पूंजीकरण सहायता के भारत सरकार के हिस्से की पूरी राशि नाबार्ड द्वारा 30 मार्च 2022 को जारी की गई थी।

2. पैक्स का व्यापक डाटा बेस

नाबार्ड ने ग्रामीण स्तर तक के आंकड़ों का मानचित्रण करके पूरे देश में पैक्स के व्यापक भौगोलिक, बुनियादी ढांचे और वित्तीय डेटा को कैप्चर करने की एक परियोजना शुरू की है।

आज की तारीख तक, 85,000 पैक्स के संबंध में स्थान, नाम, निगमन का वर्ष, संपर्क विवरण आदि जैसे मापदंडों सहित बुनियादी डेटा एकत्र किया गया है और पीएसीएस द्वारा किए गए स्टाफिंग, बुनियादी वित्तीय डेटा, गैर-क्रेडिट गतिविधियों के आंकड़े 73,000 पैक्स के संबंध में उपलब्ध हैं।

पीएसीएस का यह व् यापक डाटा बेस एमएससी, पीएसीएस कम् प् यूटरीकरण, भारत सरकार/नाबार्ड की भावी विकास पहलों आदि के रूप में पैक्स के अंतर्गत सभी सहायता के लिए भविष् य में संदर्भ के रूप में कार्य करेगा।

3. ग्रामीण सहकारी बैंकों में सीबीएस का नवीकरण

आरसीबी और नाबार्ड की संचालन समिति ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) में सीबीएस संरचना के लिए उपयुक्त विकल्पों के साथ-साथ विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सीबीएस सेवाओं की सूची पर विचार-विमर्श करने और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। सेवाएं दो श्रेणियों में होंगी, जिनके नाम "होना चाहिए" और "अच्छा होना चाहिए" श्रेणियां हैं। नाबार्ड भी खाता एग्रीगेटर ढांचे में शामिल होने के लिए आरसीबी की सहायता कर रहा है।

4. नाबार्ड ने एक वेब-आधारित पोर्टल अर्थात् "इंश्योर" को डिजाइन और बनाए रखा है, जिसके माध्यम से आरसीबी से सभी डेटा प्राप्त और विश्लेषण किए जाते हैं। ENSURE एक ऐसा मंच है जो न केवल वित्तीय प्रगति बल्कि विकास से संबंधित प्रदर्शन मापदंडों की समीक्षा करने में भी मदद करता है। सुनिश्चित तिमाही आधार पर एक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) भी तैयार करता है जिसकी समीक्षा नाबार्ड और बैंकों के संबंधित बोर्डों के प्रबंधन बोर्डों द्वारा की जाती है।
5. नाबार्ड बैंकों की अर्ध-वार्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित करता है जिसमें वित्तीय प्रगति, प्रौद्योगिकी अपनाने, नीतिगत मुद्दों आदि पर विचार-विमर्श किया जाता है।

<u>महत्वपूर्ण नीतिगत विकास</u>

1. सहकारिता मंत्रालय

सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। मंत्रालय का उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करना है और जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन आधारित आंदोलन के रूप में सहकारी समितियों को गहरा करने में मदद करेगा।

वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में सहकारिता मंत्रालय को 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान 403.30 करोड़ रुपये था। मंत्रालय का उद्देश्य कई योजनाओं को कार्यान्वित करना है अर्थात् देश में सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) का डिजिटलीकरण, अम् ब्रेला स्कीम 'सहकारी समितियों के माध्यम से समृद्धि'।

2. वैकल्पिक न्यूनतम कर और अधिभार में कमी

सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच समान अवसर प्रदान करने के लिए, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2022 को अपने बजट भाषण के माध्यम से सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर को 18.5% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव किया है। एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक की आय वाली सहकारी समितियों पर अधिभार 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।

3. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना

सिक्किम राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को 18 जनवरी 2022 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित आरबीआई अधिसूचना के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में अब 24 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (34 राज्य सहकारी बैंकों में से) हैं।

4. सीजीटीएमएसई के साथ सदस्य उधार संस्थानों (एमएलआई) के रूप में एसटीसीबी और डीसीसीबी को शामिल करना

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) ने 3 फरवरी 2022 के अपने परिपत्र के माध्यम से एसटीसीबी और डीसीसीबी को सीजीटीएमएसई के सदस्य उधार संस्थानों (एमएलआई) के रूप में शामिल करने के लिए पात्र बैंकों के रूप में शामिल करने की अधिसूचना जारी की है। इससे पूरे भारत में एसटीसीबी और डीसीसीबी के विशाल शाखा नेटवर्क के माध्यम से एमएसएमई के लिए कम लागत वाली ऋण उपलब्धता में सुधार होने की उम्मीद है।

5. जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का समामेलन

आरबीआई ने 24 मई 2021 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से राज्य में एक या अधिक डीसीसीबी को एसटीसीबी के साथ मिलाने के लिए राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

6. जमाकर्ता के हितों का संरक्षण

एसटीसीबी और डीसीसीबी सहित बैंकों के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध जमा बीमा कवरेज को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई घोषणा के अनुसार, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम के संशोधित प्रावधान 1 सितंबर, 2021 से लागू हुए। संशोधन डीआईसीजीसी को संकटग्रस्त बैंकों के जमाकर्ताओं को अंतरिम जमा बीमा भुगतान करने का अधिकार देता है, भले ही बैंक ऐसे निर्देशों को लागू करने के 90 दिनों के भीतर रिजर्व बैंक के सभी समावेशी निर्देशों (एआईडी) के तहत हों।

7. सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तिगत आवास ऋण - सीमाओं में वृद्धि

एसटीसीबी और डीसीसीबी द्वारा बढ़ाए जा सकने वाले व्यक्तिगत आवास ऋणों की राशि पर विवेकपूर्ण सीमा, जिसे पिछली बार 2009 में संशोधित किया गया था, को

आरबीआई द्वारा 8 जून 2022 की अधिसूचना के माध्यम से निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

बैंक की श्रेणी	पूर्व सीमा (प्रति व्यक्तिगत उधारकर्ता)	संशोधित सीमा (प्रति व्यक्तिगत उधारकर्ता)
100 करोड़ रुपये से कम के निवल मूल्य का आकलन करने वाले एसटीसीबी/डीसीसीबी	₹20 लाख	₹ 50 लाख
100 करोड़ रुपये के बराबर या उससे अधिक निवल मूल्य का आकलन करने वाले एसटीसीबी/डीसीसीबी	₹ 30 लाख	₹75 लाख

8. ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCB) को वाणिज्यिक अचल संपत्ति - आवासीय आवास (CRE-RH) क्षेत्र को उधार देने की अनुमति देना

आरबीआई ने 8 जून 2022 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से एसटीसीबी और डीसीसीबी को अपनी कुल परिसंपत्तियों के 5% की मौजूदा कुल आवास वित्त सीमा के भीतर वाणिज्यिक रियल एस्टेट-आवासीय आवास (सीआरई-आरएच) को वित्त प्रदान करने की अनुमति दी है। इससे पहले, एसटीसीबी और डीसीसीबी को वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र को ऋण देने से प्रतिबंधित किया गया था।

9. शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों का निर्गम और विनियमन - राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 को 1 अप्रैल 2021 से एसटीसीबी और डीसीसीबी पर लागू किया गया था। संशोधनों के आलोक में, पूंजी निधियों के मुद्दे और विनियमन पर आरसीबी के लिए पहले के दिशानिर्देशों की आरबीआई द्वारा समीक्षा की गई थी और 19 अप्रैल 2022 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

इन संशोधित दिशानिर्देशों के माध्यम से, आरसीबी को अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित लिखत जारी करने की अनुमति दी गई है

I. वरीयता शेयर

सतत गैर-संचयी वरीयता शेयर (पीएनसीपीएस) टियर 1 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र

सतत संचयी तरजीही शेयर (पीसीपीएस) टियर II पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र
भुनाने योग्य गैर-संचयी तरजीही शेयर (आरएनसीपीएस) टियर II पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र
प्रतिदेय संचयी तरजीही शेयर (आरसीपीएस) टियर II पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र

II. ऋण लिखत

सतत ऋण लिखत (पीडीआई) टियर 1 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र
दीर्घकालिक अधीनस्थ बांड (एलटीएसबी) टियर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र
इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने पात्र व्यक्तियों को शेयर पूंजी वापस करने के लिए आरसीबी के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों को विनिदष्ट किया है।

10. जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान खोलना

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 2020 में संशोधन के अनुसरण में डीसीसीबी को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय का नया स्थान खोलने/एटीएम स्थापित करने या ऐसे कार्यालयों के स्थान को बदलने की अनुमति है। आरबीआई ने दिनांक 11 अगस्त 2022 की अधिसूचना के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें डीसीसीबी द्वारा शाखाएं/विस्तार काउंटर/विशेष शाखाएं/क्षेत्रीय कार्यालय/जोनल कार्यालय/प्रशासनिक कार्यालय खोलने/शाखाओं को स्थानांतरित करने/विस्तार काउंटरों को पूर्ण शाखाओं में स्तरोन्नत करने के मानदंड ोंं को निर्दिष्ट किया गया है।